सीगा कैविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या 38/2021 (GCMS 2021/ 123) 1. संजय अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल 2.सुषमा रानी अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल 3.राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मूलमल अग्रवाल निवासी 78 हरमिलापी कॉलानी, श्रीगंगानगर वट्सअप नं. 9214333310, मोबाईल नं. 9829877888 बनाम Union Bank of India, Main Branch, Sriganganagar

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.10.2021

प्रार्थीगण उपस्थित नही है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध मेंयह कैविएट प्रार्थना पत्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के विरूद्ध पेश किया गया है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा श्रीगंगानगर से 02 जनवरी, 2008 में 12.00 लाख रूपये का गृह ऋण प्राप्त किया था तथा मकान की पुनः फर्नीशिंग हेतु उक्त गृह खाते में दो लाख रूपये दिनांक 10.02.2009 को ओर अतिरिक्त स्वीकृत करवाये। इस प्रकार गृह ऋण 14.00 लाख रूपये हो गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक ऋण खाता संख्या 380106650007064 में 19,52,282.48/– रूपये जमा करवाये है। प्रार्थी के साथ बैंक द्वारा धोखाधडी व अपराधिक कृत्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा बैंक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से बैंक द्वारा दिनांक 08.06.2021 को प्रार्थी को सरफेसी एक्ट के तहत राशि 11,42,423.53/– रूपये का नोटिस जारी किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्राथी के साथ की गई धोखाधड़ी का प्रकरण विभिन्न स्तर पर विचारधीन है व प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से बैंक द्वारा की गई धोखाधड़ी को प्रमाणित करने में सक्षम हैं, ऐसे में बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए सरफैसी प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए व बैंक प्रबंधक को तलब कर उनसे सरफेसी एक्ट के जारी किए गए नोटिस में अंकित राशि के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:23:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यूनियन बैंक ऑफ बैंक इंण्डिया द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण के विरूद्ध अभी तक कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध मे वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 18 सी(1) का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है :

18C. Right to Lodge a Caveat :

(1) Where an application or an appeal is expected to be made or has been made under sub-section(1 of section 17 or section 17A or sub-section1) of section 18 or section 18B, the secured creditor or any person claiming a right to appear before the Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court as the case may be, on the hearing of such application or appeal, may lodge a caveat in respect thereof.

(2) ....

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 18सी के तहत Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court के समक्ष ही कैविएट प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार से कैविएट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का कैविएट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कैविएट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:23:34 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर